छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल, रायपुर

(पूर्व नाम– छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)–492002

Phone No.- 0771-2972780, Website- vyapamcg.cgstate.gov.in, https://cgssb.cgstate.gov.in

क्रमांक/एस.एस.बी./परीक्षा एफ–20/2026/3202 रायपुर, दिनांक 24/07/26

परीक्षा निर्देश

लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सहायक शिक्षक पदों हेतु लिखित भर्ती परीक्षा (LSAT26)

1.	ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि	–	**24.07.2026 (शुक्रवार)**
2.	ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	–	**21.08.2026 (शुक्रवार) सायं 5:00 बजे तक**
3.	त्रुटि सुधार	–	**22.08.2026 से 24.08.2026, सायं 5:00 बजे तक**
4.	**परीक्षा की संभावित तिथि**	–	**11.10.2026 (रविवार)**
5.	**परीक्षा का समय**	–	**पूर्वान्ह 10:00 से 12:15 बजे तक**
6.	वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की संभावित तिथि	–	**05.10.2026 (सोमवार)**
7.	परीक्षा केन्द्र	–	**16 जिला मुख्यालयों में**

महत्वपूर्ण टीप –

1. अभ्यर्थियों की सुविधा की दृष्टि से आवेदकों के प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) की व्यवस्था पोर्टल पर की है। एक बार प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) करने के बाद परीक्षा विशेष के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक को बार–बार व्यक्तिगत जानकारी नहीं भरनी होगी। यह जानकारी उनके प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) से स्वमेव आ जायेगी ।
2. ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्मतिथि, स्थानीय निवासी, शैक्षणिक योग्यता, दिव्यांगता, भूतपूर्व सैनिक आदि सम्बंधी प्रमाण–पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी के सभी प्रमाण–पत्र का परीक्षण नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई भी जानकारी के लिए CGSSB (पूर्व नाम व्यापम) जवाबदार नहीं होगा। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का स्वयं का होगा। आवेदन से सम्बंधित जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
3. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन भरने में यदि कोई त्रुटि हुई हो तो, उसे सुधारने हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात 03 दिवस का समय दिया गया है। इस दौरान अभ्यर्थी को त्रुटि सुधार स्वयं करना होगा ।
4. अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में भरी गई जानकारी के आधार पर ही जारी किया जायेगा । किसी भी स्तर पर CGSSB (पूर्व नाम व्यापम) द्वारा कोई सुधार नहीं किया जायेगा ।
5. ऑनलाइन आवेदन करते समय, परीक्षा शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी अपने आवेदन को "SUBMIT" करने हेतु अनिवार्य रूप से "SUBMIT" बटन दबाएँ ।
6. छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी, जो परीक्षा में उपस्थित होते हैं, उसका परीक्षा शुल्क CGSSB (पूर्व नाम व्यापम) द्वारा वापस कर दिया जावेगा । परीक्षा शुल्क उसी बैंक खाता में वापस किया जावेगा, जिस बैंक खाता से अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन का परीक्षा शुल्क का भुगतान किया है ।
7. ऑनलाइन आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक "SUBMIT" करने के बाद कृपया अभ्यर्थी इसका प्रिंट आउट अनिवार्य रूप से लें व अपने पास रखें ।
8. आवेदन भरने के पूर्व विभाग द्वारा जारी भर्ती नियमों को ध्यान से पढ़े तथा पात्र होने पर ही आवेदन करें ।
9. वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in अथवा https://cgssb.cgstate.gov.in पर नया ऑनलाइन **प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण)** फार्म भरने हेतु अभ्यर्थी अपना स्वयं का सामने से लिया हुआ हल्के रंग के बैकग्राउंड वाला फोटो .jpg/.jpeg फार्मेट में स्कैन कर कर फाइल के रूप में रखें। जिसका अधिकतम साइज 100 kb एवं न्यूनतम साइज 50 kb का हो, सेव कर रखें। (फाइल का नाम अल्फान्यूमेरिक में रखें, बीच में अंतराल तथा डॉट का प्रयोग न करें), साथ ही अभ्यर्थी अपने स्वयं के हस्ताक्षर का फोटो भी स्कैन कर कर

24 Jul 2026

Exam Controller
Chhattisgarh Staff Selection Board
Nava Raipur Atal Nagar

एक अलग .jpg/.jpeg फार्मेट में फाइल के रूप में रखे। जिसका अधिकतम साइज 100 kb एवं न्यूनतम साइज 50 kb का हो, सेव कर रखें।

10. परीक्षा शुल्क के सम्बंध में –

अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से करना है । छत्तीसगढ़ शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्र. एफ 5–20/2015/जन.नि./42 नया रायपुर, दिनांक 14.12.2015 के अनुपालन में व्यापम द्वारा जारी आदेश क्र./2830/स्था./व्यापम/2015/रायपुर, दिनांक 17.12.2015 अनुसार परीक्षा शुल्क लिया जा रहा है ।

सामान्य वर्ग	– रू. 350.00
अन्य पिछड़ा वर्ग	– रू. 250.00
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग	– रू. 200.00

छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर का पत्र क्र. क्रमांक RULE-8/2/2024-GAD-1 दिनांक 21.04.2025 के परिपालन में परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरांत छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी परीक्षार्थी, जो परीक्षा में उपस्थित होंगे, उन्हें उनके द्वारा दी गई परीक्षा शुल्क की राशि उसी बैंक खाता में वापस की जायेगी, जिस बैंक खाता से अभ्यर्थी ने परीक्षा शुल्क का भुगतान किया है ।

महत्वपूर्ण जानकारी

1. प्रोफाइल संबधित जानकारी–

अभ्यर्थी द्वारा **प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण)** में दी गई जानकारी के आधार पर ही ऑनलाइन आवेदन भर सकेगा। ऑनलाइन आवेदन के आधार पर ही CGSSB (पूर्व नाम व्यापम) परीक्षा परिणाम तैयार करता है । ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अपने **प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण)** की जानकारियों को अवश्य जाँच लें तदुपरांत ही ऑनलाइन आवेदन सबमिट करें ।

2. पात्रता :–

आवेदन हेतु पात्रता के संबंध में विभागीय नियम देखें । केवल वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो विभागीय नियमों में दी गई शर्तें पूरी करते हों। **मात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना अथवा परीक्षा में सम्मिलित होना अभ्यर्थी को पात्र नहीं बनाता है ।**

3. ऑनलाइन आवेदन करने की विधि :–

ऑनलाइन आवेदन करने की विधि की जानकारी CGSSB (पूर्व नाम व्यापम) वेबसाइट के "Instructions to fill the FORM" लिंक पर उपलब्ध है ।

4. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की विधि :–

4.1 मूलभूत जानकारी में सुधार करने हेतु अभ्यर्थी को अपने **प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण)** में सुधार करना होगा, तदुपरांत ही ऑनलाइन आवेदन में मूलभूत जानकारी सही दर्शित होगी। ऑनलाइन फार्म भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् भी अतिरिक्त 03 दिवस का समय त्रुटि सुधार हेतु दिया गया है ।

4.1 ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि अथवा निर्धारित समय सीमा में की गई त्रुटि सुधार के अनुसार ही CGSSB (पूर्व नाम व्यापम) स्तर से प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा।

24 Jul 2026

Exam Controller
Chhattisgarh Staff Selection Board
Nava Raipur Atal Nagar

5. प्रवेश पत्र संबंधी जानकारी :–

परीक्षा के लगभग 07 दिन पूर्व प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) CGSSB (पूर्व नाम व्यापम) की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। अभ्यर्थी अपनी प्रोफाइल में जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा पश्चात् भी एडमिट कार्ड को संभालकर रखें । चयन प्रक्रिया के समय/सर्विस ज्वाइनिंग के समय इसे प्रस्तुत करना पड़ सकता है।

अभ्यर्थी संपूर्ण प्रवेश पत्र पूर्णतः डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट लेकर परीक्षा केन्द्र में जायें। परीक्षार्थियों को डाकघर के माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जावेगा। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र के सम्बंध में कठिनाई होती है तो हेल्पलाइन नंबर 0771–2972780 एवं मोबाइल नंबर 8269801982 पर समय प्रातः 10:00 से सायं 5:30 बजे तक संपर्क कर सकते हैं ।

परीक्षा दिवस को प्रत्येक परीक्षार्थी कम से कम दो घंटे पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र में उपस्थित रहें, जिससे उनके मूल पहचान पत्र से उनका पहचान किया जा सके एवं फ्रिस्किंग (Frisking) के उपरांत परीक्षा केंद्र में जाने हेतु अनुमति दी जा सके । यह उचित होगा कि, परीक्षार्थी परीक्षा दिवस से एक दिन पूर्व ही अपने परीक्षा केन्द्र की भौगोलिक स्थिति से भलीभॉति परिचित हो जावें । प्रवेश पत्र पर अंकित समय के पश्चात् किसी को भी परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश –

1. कृपया प्रवेश पत्र के सभी पेज का प्रिंट आउट लें और पेज के केवल एक तरफ प्रिंट करें । क्योंकि प्रत्येक परीक्षा हेतु CGSSB (पूर्व नाम व्यापम) की प्रवेश पत्र की प्रति परीक्षा केन्द्र में जमा हो जाएगी ।
2. परीक्षार्थी को परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र/ड्रायविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड जिसमें अभ्यर्थी का फोटो हो, का एक मूल पहचान पत्र परीक्षा दिवस में परीक्षा केन्द्र में लाना अनिवार्य होगा । मूल पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।
3. परीक्षार्थी, परीक्षा के दिन, परीक्षा प्रारंभ समय से कम से कम 2 घंटा पहले परीक्षा केन्द्र में अनिवार्यतः उपस्थित रहे, जिससे परीक्षार्थी का सत्यापन एवं फ्रिस्किंग (Frisking) किया जा सके।
4. परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व मुख्य द्वार बंद कर दिया जावेगा। परीक्षा प्रारंभ होने का समय 10:00 बजे है, इसलिए **9:30 बजे मुख्य द्वार बंद कर दिया जावेगा** ।
5. हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने जाए। काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरून, बैंगनी रंग व गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े पहनना वर्जित होगा ।
6. फुटवियर के रूप में चप्पल पहनें।
7. कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है।
8. परीक्षा के प्रथम आधा घंटा एवं आखिरी आधा घंटा में परीक्षा कक्ष से बाहर जाना वर्जित है।
9. परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रिानिक उपकरण, इलेक्ट्रिानिक घडी, पर्स, पाऊच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूर्णतः वर्जित है।
10. चयन/प्रवेश के समय प्रवेश पत्र मांगा जाता है, अतः इसे सुरक्षित रखें ।
11. निर्देशों का पालन न करने पर अभ्यर्थी को परीक्षा देने से वंचित किया जायेगा । परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी तथा अभ्यर्थिता समाप्त की जावेगी ।
12. धार्मिक या सांस्कृतिक पोशाक वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करना होगा । उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जॉच से गुजरना पड़ेगा तभी ऐसे पोशाक की अनुमति होगी।

6. हेल्प लाइन संबंधी जानकारी :–

ऑनलाइन आवेदन भरने में किसी प्रकार की दिक्कत होने पर कार्य दिवसों में प्रातः 10:00 से सायं 5:30 बजे (कार्यालयीन समय) के बीच 0771–2972780 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। साथ ही अवकाश के दिनों में मोबाइल नंबर 8269801982 पर समय प्रातः 10:00 से सायं 5:30 बजे तक संपर्क किया जा सकता है ।

24 Jul 2026

Exam Controller
Chhattisgarh Staff Selection Board
Nava Raipur Atal Nagar

7. पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी :–

परीक्षा हेतु सम्बंधित विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम CGSSB (पूर्व नाम व्यापम) वेबसाइट के "Syllabus" लिंक पर उपलब्ध है।

8. परीक्षा कक्ष में प्रवेश :–

परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी केवल निम्नलिखित सामग्री लाएं –

(1) प्रवेश पत्र

(2) काला या नीला बाल पॉइंट पेन

(3) फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र/ड्रायविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड आदि की मूलप्रति

फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

9. परीक्षा पद्धति एवं मूल्यांकन पद्धति :–

9.1 प्रश्न पत्र के मुख्य पृष्ठ पर तीन समान बार कोड स्टिकर संलग्न हैं । परीक्षार्थी एक बार कोड स्टिकर को ओ.एम.आर. शीट पर, दूसरे बार कोड स्टिकर को प्रश्न पत्र के मुख्य पृष्ठ पर व तीसरे बार कोड स्टिकर को उपस्थिति पत्रक पर सावधानीपूर्वक इंगित स्थान पर अवश्य चिपकायें ।

9.2 प्रश्नपत्र में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न में 01 अंक देय होगा। अभ्यर्थियों को इन प्रश्नों को हल करने हेतु 02:00 घंटे का समय दिया जावेगा । दिए गये प्रश्नों के चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन करना होगा । सही विकल्प पर उत्तरशीट(OMR) में नीले/काले डॉट पेन से गोला को पूर्णतः भरना होगा। गलत उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर अंकित करने पर ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान है तदानुसार नियत अंक का 1/4 अंक काटा जाएगा। परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किये जायेंगे उनके लिए शून्य (zero) अंक प्रदान किया जाएगा। **परीक्षार्थी केवल एक विकल्प पर ही गोला अंकित करें ।**

10. दावा/आपत्ति का निराकरण :–

10.1 CGSSB (पूर्व नाम व्यापम) वेबसाइट पर दावा आपत्ति हेतु परीक्षार्थी को अपना पंजीयन क्रमांक (प्रोफाइल आई डी) एवं जन्म तिथि डालकर लॉगिन करना होगा और निर्देशानुसार दावा आपत्ति दर्ज करानी होगी ।

10.2 परीक्षा उपरांत CGSSB (पूर्व नाम व्यापम) द्वारा जारी मॉडल उत्तर पर यदि परीक्षार्थी को आपत्ति हो तो नियत अवधि के भीतर सप्रमाण दावा/आपत्ति (किसी गाइड बुक का प्रमाण मान्य नहीं होगा) दर्ज करना होगा।

10.3 ऑनलाइन दावा–आपत्ति दर्ज करने हेतु परीक्षार्थी को प्रति प्रश्न रू. 50/– शुल्क (ऑनलाइन के माध्यम से) देना होगा । शुल्क भुगतान के बिना दावा–आपत्ति मान्य नहीं होगा ।

10.4 डाक/ई–मेल द्वारा या CGSSB (पूर्व नाम व्यापम) में स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किये गये दावा–आपत्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा।

10.5 दावा आपत्ति दर्ज कराने की विस्तृत प्रक्रिया का मेनुअल वेबसाइट पर उपलब्ध है।

10.6 दावा आपत्ति करने से पूर्व आपत्ति के पक्ष में दिये जाने वाले की सॉफ्ट कॉपी अपलोड हेतु तैयार रखें एवं आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण होने पर इसकी पावती डाउनलोड अवश्य कर लें ।

10.7 बिना प्रमाण का दावा/आपत्ति को अमान्य किया जावेगा।

10.8 प्रत्येक प्रश्न का दावा/आपत्ति अलग–अलग प्रस्तुत करना होगा। एक साथ एक से अधिक प्रश्नों पर दावा/आपत्ति प्रस्तुत करने पर अमान्य किया जायेगा ।

10.9 प्राप्त दावा/आपत्ति का विषय विशेषज्ञों द्वारा निराकरण किया जाता है । परीक्षण पश्चात् विषय विशेषज्ञों द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। तदानुसार अंतिम उत्तर तैयार किया जाएगा।

10.10 अंतिम उत्तर के आधार पर उत्तर पुस्तिकाओं (ओ.एम.आर.) का मूल्यांकन किया जाएगा।

Exam Controller
Chhattisgarh Staff Selection Board
Nava Raipur Atal Nagar

10.11 परीक्षा परिणाम के साथ अंतिम उत्तर जारी किया जाएगा। **अंतिम उत्तर पर किसी भी प्रकार का पुनः दावा/आपत्ति मान्य नहीं किया जावेगा।**

11. त्रुटिपूर्ण प्रश्न का विलोपन के सम्बंध में–

1. प्रश्न की संरचना गलत है,
2. कोई भी विकल्प सही नहीं है,
3. किसी प्रश्न के हिन्दी और अंग्रेजी रुपांतरण में अंतर है, जिसके कारण दोनों के भिन्न–भिन्न अर्थ निकलते हैं तद्नुसार एक भी विकल्प सही नहीं है।
4. मुद्रण त्रुटि है, जिससे सही उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है।

नोट :– विलोपित प्रश्न पर सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से उस प्रश्न पर आबंटित अंक, बोनस अंक के रूप में प्रदान किया जायेगा ।

12. किसी प्रश्न के एक से अधिक सही विकल्प होने की स्थिति में विषय–विशेषज्ञों के निर्णय अनुसार सभी सही विकल्प मान्य होंगे ।

13. परीक्षा परिणाम :–

संबंधित विभाग के नियमों के आधार पर प्राप्तांक घोषित की जावेगी। अभ्यर्थी अपना परीक्षा परिणाम वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in अथवा https://cgssb.cgstate.gov.in पर **देख सकते हैं तथा प्रिंट प्राप्त** कर सकते हैं।

14. पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन :–

CGSSB (पूर्व नाम व्यापम) द्वारा उत्तरशीट (ओ.एम.आर.) का मूल्यांकन ओ.एम.आर. मशीन से किया जाता है, अतः पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।

15. क्षेत्राधिकार (JURISDICTION) :–

CGSSB (पूर्व नाम व्यापम) का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम जारी करने तक सीमित है। दस्तावेज परीक्षण एवं सत्यापन/चयन/नियुक्ति की प्रकिया CGSSB (पूर्व नाम व्यापम) द्वारा नहीं किया जाता है।

16. CGSSB (पूर्व नाम व्यापम) द्वारा जारी परीक्षा जिला कोड तथा समन्वयक केन्द्रों के नाम –

क्र.	जिला का नाम	जिला कोड	महाविद्यालय का नाम	दूरभाष नंबर
1	सरगुजा (अम्बिकापुर)	11	राजीव गांधी शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, अम्बिकापुर	07774–230921
2	कोरिया (बैकुण्ठपुर)	12	शासकीय महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर (कोरिया)	07836–232252
3	बिलासपुर	13	शासकीय ई. राघवेन्द्र राव,स्नातकोत्तर विज्ञान महा., बिलासपुर	07752–246430
4	दंतेवाड़ा	14	शासकीय दंतेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दंतेवाड़ा	07856–240087
5	धमतरी	15	बाबू छोटेलाल शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, धमतरी	07722–237933
6	दुर्ग	16	विश्वनाथ तामस्कर शासकीय कला एवं विज्ञान महा.,दुर्ग	0788–2211688
7	जगदलपुर (बस्तर)	17	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, जगदलपुर	07782–229340
8	जांजगीर–चांपा	18	शासकीय पी.जी. टी.सी.एल. महाविद्यालय, जांजगीर–चांपा	07817–222240
9	जशपुर नगर	19	शासकीय पी.जी.एन.ई.एस. महाविद्यालय, जशपुर नगर	07763–223539
10	कांकेर	20	भानुप्रतापदेव शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, कांकेर	07868–222028

24 Jul 2026
Exam Controller
Chhattisgarh Staff Selection Board
Nava Raipur Atal Nagar

11	कबीरधाम	21	आचार्य पंथ श्री गृंधमुनि नाम साहेब शास. महा, कबीरधाम	07741–232496
12	कोरबा	22	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, कोरबा	07759–221458
13	महासमुंद	23	शासकीय महाविद्यालय, महासमुंद	07723–222048
14	रायगढ़	24	किरोड़ीमल शास. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रायगढ़	07762–222966
15	रायपुर	25	शासकीय नागार्जुन पी.जी. विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर	0771–2263131
16	राजनांदगाँव	26	शासकीय पी.जी. दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगॉव	07744–225036

24 Jul 2026.

परीक्षा नियंत्रक
छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल
रायपुर

24.7.26

लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

// विस्तृत विज्ञापन //

छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक ESTB-101/258/2025/20–तीन, दिनांक 28.10.2025. एवं 03.02.2026 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/ESTB-101/207/2025/72 नवा रायपुर, दिनांक 16.04.2026 के द्वारा संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन में राज्य की शासकीय शालाओं (ई एवं टी–संवर्ग) में **सहायक शिक्षक** के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट पर आमंत्रित किये गये है। विज्ञापित पदों के लिये आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएँ, आयु सीमा, आरक्षण एवं अन्य महत्वपूर्ण निर्देश निम्नानुसार है :–

सहायक शिक्षक ई–संवर्ग, अराजपत्रित तृतीय श्रेणी (वेतन मेट्रिक्स लेवल–06)

क्र.	जिले का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद	योग
		अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव		
1	बलौदाबाजार–भाटापारा	42	17	10	11	12	5	3	3	4	1	1	1	5 (OA, OL, BL, LV, HH, OAL, BLOA, DW, AAV, SLD, LC, MDY, MI)	**80**
2	रायपुर	46	11	3	10	13	3	0	3	4	1	0	1	5 (OA, OL, BL, LV, HH, OAL, BLOA, DW, AAV, SLD, LC, MDY, MI)	**70**
3	महासमुन्द	30	8	18	9	9	2	5	2	3	0	1	0	4 (OA, OL, BL, LV, HH, OAL, BLOA, DW, AAV, SLD, LC, MDY, MI)	**65**
4	दुर्ग	53	11	5	11	15	3	1	3	5	1	0	1	5 (OA, OL, BL, LV, HH, OAL, BLOA, DW, AAV, SLD, LC, MDY, MI)	**80**

5	बालोद	23	4	16	7	6	1	4	2	2	0	1	0	3 (OA, OL, BL, LV, HH, OAL, BLOA, DW, AAV, SLD, LC, MDY, MI)	**50**
6	बेमेतरा	44	12	4	10	13	3	1	3	4	1	0	1	5 (OA, OL, BL, LV, HH, OAL, BLOA, DW, AAV, SLD, LC, MDY, MI)	**70**
7	राजनांदगांव	34	7	19	10	10	2	5	3	3	0	1	1	5 (OA, OL, BL, LV, HH, OAL, BLOA, DW, AAV, SLD, LC, MDY, MI)	**70**
8	कबीरधाम	36	9	15	10	10	2	4	3	3	0	1	1	5 (OA, OL, BL, LV, HH, OAL, BLOA, DW, AAV, SLD, LC, MDY, MI)	**70**
9	जांजगीर चांपा	36	16	8	10	10	4	2	3	3	1	0	1	5 (OA, OL, BL, LV, HH, OAL, BLOA, DW, AAV, SLD, LC, MDY, MI)	**70**
10	मुंगेली	35	17	8	10	10	5	2	3	3	1	0	1	5 (OA, OL, BL, LV, HH, OAL, BLOA, DW, AAV, SLD, LC, MDY, MI)	**70**
11	रायगढ़	7	3	7	3	2	0	2	0	0	0	0	0	1 (OA, OL, BL, LV, HH, OAL, BLOA, DW, AAV, SLD, LC, MDY, MI)	**20**
12	बिलासपुर	42	15	12	11	12	4	3	3	4	1	1	1	5 (OA, OL, BL, LV, HH, OAL, BLOA, DW, AAV, SLD, LC, MDY, MI)	**80**
योग															**795**

Abbreviation Used : - OA-One Arm, OL -One Leg, BL - Both Leg, OAL - One Arm and One Leg, BLOA - Both Leg One Arm, DW - Dwarfism, AAV - Acid Attack Victims, SLD - Specific Learning Disability, MDY - Muscular Dystrophy, MI - Mental illness, LV - Low Vision, HH - Hard of Hearing, LC - Leprocy Cured.

नोट :– भारत सरकार एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक फा. सं.30–20/2020–डी.डी. ।।। दिनांक 24.08.2022 के अंतर्गत लोको मोटर दिव्यांगता के तहत, OA, OL, BA, BL, OAL, BLOA और BLA के अलावा **SD - Spinal Deformity,** और **SI - Spinal Injury** को शामिल किया जायेगा।

सहायक शिक्षक टी–संवर्ग, अराजपत्रित तृतीय श्रेणी (वेतन मेट्रिक्स लेवल–06)

क्र.	जिले का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग
		अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव		
1	बस्तर	26	3	79	17	7	0	23	4	2	0	7	1	8 (OA, OL, BL, LV, HH, OAL, BLOA, DW, AAV, SLD, LC, MDY, MI)	**125**
2	बीजापुर	5	7	79	14	1	2	23	4	0	0	7	1	7 (OA, OL, BL, LV, HH, OAL, BLOA, DW, AAV, SLD, LC, MDY, MI)	**105**
3	दन्तेवाड़ा	3	2	38	7	0	0	11	2	0	0	3	0	3 (OA, OL, BL, LV, HH, OAL, BLOA, DW, AAV, SLD, LC, MDY, MI)	**50**
4	कोण्डागांव	12	4	70	14	3	1	21	4	1	0	7	1	7 (OA, OL, BL, LV, HH, OAL, BLOA, DW, AAV, SLD, LC, MDY, MI)	**100**
5	कांकेर	26	4	56	14	8	1	16	4	2	0	5	1	7 (OA, OL, BL, LV, HH, OAL, BLOA, DW, AAV, SLD, LC, MDY, MI)	**100**
6	नारायणपुर	11	4	71	14	3	1	21	4	1	0	7	1	7 (OA, OL, BL, LV, HH, OAL, BLOA, DW, AAV, SLD, LC, MDY, MI)	**100**
7	सुकमा	7	2	84	7	2	0	25	2	0	0	8	0	7 (OA, OL, BL, LV, HH, OAL, BLOA, DW, AAV, SLD, LC, MDY, MI)	**100**
8	सरगुजा	24	5	57	14	7	1	17	4	2	0	5	1	7 (OA, OL, BL, LV, HH, OAL, BLOA, DW, AAV, SLD, LC, MDY, MI)	**100**

9	सूरजपुर	19	2	22	7	5	0	6	2	1	0	2	0	3 (OA, OL, BL, LV, HH, OAL, BLOA, DW, AAV, SLD, LC, MDY, MI)	**50**
10	बलरामपुर–रामनुजगंज	20	4	62	14	6	1	18	4	0	0	6	1	7 (OA, OL, BL, LV, HH, OAL, BLOA, DW, AAV, SLD, LC, MDY, MI)	**100**
11	कोरिया	34	8	44	14	10	2	13	4	3	0	4	1	7 (OA, OL, BL, LV, HH, OAL, BLOA, DW, AAV, SLD, LC, MDY, MI)	**100**
12	जशपुर	29	7	93	21	8	2	27	6	2	0	9	2	10 (OA, OL, BL, LV, HH, OAL, BLOA, DW, AAV, SLD, LC, MDY, MI)	**150**
13	कोरबा	34	10	42	14	10	3	12	4	3	1	4	1	7 (OA, OL, BL, LV, HH, OAL, BLOA, DW, AAV, SLD, LC, MDY, MI)	**100**
14	रायगढ़	37	14	35	14	11	4	10	4	3	1	3	1	7 (OA, OL, BL, LV, HH, OAL, BLOA, DW, AAV, SLD, LC, MDY, MI)	**100**
15	गरियाबंद	38	10	36	13	11	3	10	3	3	1	3	1	6 (OA, OL, BL, LV, HH, OAL, BLOA, DW, AAV, SLD, LC, MDY, MI)	**97**
16	बालोद	9	2	6	3	2	0	1	0	0	0	0	0	1 (OA, OL, BL, LV, HH, OAL, BLOA, DW, AAV, SLD, LC, MDY, MI)	**20**
योग															**1497**

Abbreviation Used : - OA-One Arm, OL -One Leg, BL - Both Leg, OAL - One Arm and One Leg, BLOA - Both Leg One Arm, DW - Dwarfism, AAV - Acid Attack Victims, SLD - Specific Learning Disability, MDY - Muscular Dystrophy, MI - Mental illness, LV - Low Vision, HH - Hard of Hearing, LC - Leprocy Cured.

नोट :– भारत सरकार एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक फा. सं.30–20/2020–डी.डी. ।।। दिनांक 24.08.2022 के अंतर्गत लोको मोटर दिव्यांगता के तहत, OA, OL, BA,

BL, OAL, BLOA और BLA के अलावा **SD - Spinal Deformity,** और **SI - Spinal Injury** को शामिल किया जायेगा।

1. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें :–** सीधी भर्ती परीक्षा में पात्र होने के लिये अभ्यर्थी को, निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होंगी, अर्थात् :–

(एक) आयु:–

(i) 01 जनवरी, 2026 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूरी कर ली हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी न की हो ;

(ii) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्गों (गैर–क्रीमीलेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ;

(iii) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ;

(iv) दिव्यांगजन व्यक्तियों को सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जायेगी ;

(v) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हो या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी :–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए ;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो और किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों, तथा परियोजना कार्यान्वयक समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी ;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि 1 से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा,

परन्तु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः— "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरन्तर रहा हो और जिसे किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(vi) ऐसा अभ्यर्थी, जो "भूतपूर्व सैनिक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा ;

परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः— शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया होः—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन निर्मुक्त कर दिया हो;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें—

(क) अल्पकालीन वचनबद्ध अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवामुक्त कर दिया गया हो।

Smh

(3) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक), जिन्हें उनकी संविदा पूरी हो जाने पर सेवामुक्त किया गया हो (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है);

(4) ऐसे भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर 6 माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात सेवामुक्त किया गया हो ;

(5) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवामुक्त किया गया हो कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(vii) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(viii) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में भी, उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ix) ऐसे अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(x) स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नान कमीशंड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा पूर्व में इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टीप– (1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम के खण्ड (एक) के उप–खण्ड (ङ) के पैरा (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात, सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(xi) उपरोक्त संवर्गों के किसी एक या एक से अधिक आधार पर छूट प्राप्त करने के उपरांत, शासकीय सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ;

(xii) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

2. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ:–

अभ्यर्थी के पास **सहायक शिक्षक पद** पर सेवा के लिये निम्नानुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं होना आवश्यक है :–

(क) कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो) में द्विवर्षीय डिप्लोमा

अथवा

कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो) में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एन.सी.टी.ई. (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

अथवा

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र (बी.एल.एड.) में चार वर्षीय स्नातक

अथवा

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र (विशेष शिक्षाशास्त्र) में द्विवर्षीय डिप्लोमा

अथवा

स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो) में द्विवर्षीय डिप्लोमा

तथा

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतो के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) में उत्तीर्ण।

विशेष :उपरोक्त पदों की शैक्षणिक अर्हताऐं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई) द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं और माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के अनुक्रम में मान्य की जावेगी।

3. निरर्हताएं :–

(i) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्ही भी साधनों से, समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा चयन के लिए निरर्हित माना जा सकेगा।

(ii) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी ;

परन्तु यदि शासन को यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के विशेष कारण है, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(iii) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो कि विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये :

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ्य पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(iv) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि आवश्यक समझें, के पश्चात् यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाये।

(vi) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद लिए पात्र नहीं होगा।

(vii) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में दिये गये प्रावधान एवं शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार निरर्हताएँ, अभ्यर्थियों के लिये लागू होंगी।

(viii) चयनित अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन अर्थात पुलिस प्रमाणीकरण की विधिवत कार्यवाही के अध्ययधीन होगा।

4. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा :–

(i) चयन के लिये अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे

परीक्षा हेतु प्रवेश प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया गया हो, परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(ii) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

5. पदों हेतु आरक्षण :–

(i) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंध तथा उक्त अधिनियम के अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(ii) छत्तीसगढ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंध के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जायेंगे। यह आरक्षण, समस्तर और प्रभागवार होगा। नियम के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, विधवा अथवा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा।

(iii) उपरोक्त के अतिरिक्त, दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक के लिए पदों को, शासन द्वारा समय–समय पर बनाये गये अधिनियम/नियम/जारी आदेश/निर्देश के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का सं. 49) के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य में लागू प्रतिशत के अनुसार पदों का आरक्षण, 7 प्रतिशत रहेगा।

(iv) श्रवण शक्ति ह्रास बाधित व्यक्ति यदि श्रवण यंत्र की सहायता से सुनने में सक्षम हो तो ही सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिये पात्र होंगें एवं पूर्ण बधिर व्यक्ति अपात्र होगें।

6. चयन सूची :–

(i) चयन हेतु भर्ती परीक्षा का आयोजन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम) द्वारा किया जायेगा। परीक्षा में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी व्यापम की वेबसाइट https://vyapamcg.cgstate.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

(ii) भर्ती परीक्षा परिणाम के आधार पर तैयार की गई चयन सूची की वैधता, चयन सूची जारी किये जाने की तारीख से छः माह की होगी।

(iii) प्रत्येक प्रवर्ग के लिये एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जायेगी, जिसमें न्यूनतम एक तथा अधिकतम रिक्त पदों के 25 प्रतिशत तक नाम सम्मिलित होंगे। प्रतीक्षा सूची की वैधता, ऐसी चयन सूची जारी होने की तारीख से 09 माह की होगी।

(iv) छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची आये हो।

(v) जांजगीर–चांपा जिले में विज्ञापित सभी 70 पद सक्ती जिले में एवं कोरिया जिले में विज्ञापित 100 पदों में से 50 पद मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर जिले में छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक/RULE/24/ 2026-GAD-3 नवा रायपुर, दिनांक 09.02.2026 में दिये गये निर्देश के अनुक्रम में भरे जायेगें।

7. परिवीक्षा :–

(i) सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 03 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(ii) यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो परिवीक्षा अवधि में, नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा अधिकतम एक वर्ष तक की अवधि की वृद्धि की जा सकेगी।

(iii) परिवीक्षा अवधि की कालावधि या बढ़ाई गई अवधि के दौरान या परिवीक्षा अवधि के अंत में यदि शासन की राय में कोई विशिष्ट अभ्यर्थी, अधिकारी बनने के योग्य न हो, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी।

8.अन्य निर्देश :–

(i) पदों की संख्या परिवर्तनीय है।

(ii) दिव्यांग श्रेणी में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का उनके पदांकित जिला के जिला मेडिकल बोर्ड से बेंचमार्क दिव्यांगता एवं कार्य निष्पादन आवश्यकताओं का परीक्षण कराया जायेगा, उसके उपरांत ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा।

(iii) अभ्यर्थी के पास छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

(iv) चयन सूची व्यापम द्वारा आयोजित लिखित भर्ती परीक्षा परिणाम के आधार पर तैयार की जायेगी।

(v) चयन प्रक्रिया हेतु राज्य शासन की अनुमति से विशेषज्ञ संस्थाओं का तकनीकी सहयोग लिया जायेगा।

(vi) पदों पर नियुक्तियां छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2026 अनुसार की जायेगी।

(vii) उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाली चयन उपरांत नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 019668/2022 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

(viii) ऑन–लाईन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियम/निर्देशों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा फल घोषित होने के बाद भी अनर्ह पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पायी जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन/नियुक्ति, अमान्य/निरस्त किया जा सकेगा।

(ix) अभ्यर्थी के अर्हता प्रमाण पत्र उनकी नियामक संस्थाओं/जारीकर्ता संस्थाओं के प्रचलित नियमों के अनुक्रम में मान्य किये जायेगें।

(x) नियुक्त उम्मीदवारों को उनके पद नाम के सम्मुख अंकित वेतन मेट्रिक्स के साथ–साथ राज्य शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

(xi) अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य अर्हताओं का प्रमाण पत्र व्यापम द्वारा निर्धारित ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व तिथि तक प्राप्त करना अनिवार्य है।

(xii) आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा विज्ञापन के तहत दर्शित छूट (आयु/आरक्षण) का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

(xiii) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता का नाम अंकित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(xiv) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मण्डल/उपक्रम में कार्यरत हो अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हो या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं अथवा किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो उन्हें नियोक्ता प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(xv) अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन की सूचना एवं अन्य जानकारी विभाग के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन दी जायेगी। अभ्यर्थी नियमित रूप से विभाग के पोर्टल https:// eduportal.cg.nic.in/ का अवलोकन करते रहेंगे।

(xvi) लिखित भर्ती परीक्षा की संभावित तिथि 11.10.2026 है।

(xvii) (अ) ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जायेगा, जिसे व्यापम/नियोक्ता ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो:–

(एक) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए परीक्षा में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या

(दो) पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या

(तीन) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या

(चार) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या

(पांच) चयन के किसी भी स्तर पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या

(छः) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या

(सात) परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

(आठ) परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

(नौ) प्रवेश पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गई किन्हीं भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक/प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल है, का उल्लंघन किया हो या

(दस) परीक्षा कक्ष में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

(ग्यारह) परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो।

(xvii) (ब) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने पर अभ्यर्थी के विरूद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा चयन के लिए अभ्यर्थिता भी निरस्त की जा सकेगी।

संचालक
लोक शिक्षण, छत्तीसगढ़

124

सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा पाठ्यक्रम

कुल अंक -100

विषय वस्तु	अंक
भाग- अ 1. हिन्दी	15
2. अंग्रेजी	10
3. गणित	15
4. पर्यावरण अध्ययन	10
भाग- ब बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र	15
भाग- स अ. सामान्य मानसिक योग्यता	15
ब. कम्प्यूटर शिक्षा	05
स. सामान्य ज्ञान	15
योग	100

Assistant Professor
S.C.E.R.T. CG, Raipur

सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा पाठ्यक्रम

भाग – अ
हिन्दी

(अंक - 15)

इकाई 1:
वर्ण विचार- स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन, कारक,संधि, काल
इकाई 2:
शब्द विचार- शब्द रूप और शब्द रचना
स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग- तत्सम, तद्भव, देशज ,विदेशी
अर्थ के आधार पर शब्द भेद- मुहावरे, लोकोक्तियां,पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी
इकाई 3:
शब्द रचना - उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द
इकाई 4:
पद व पद भेद- संज्ञा एवं उसके प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया

इकाई 5 :
वाक्य परिचय- वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदक्रम
इकाई 6:
रचना- अपठित गद्यांश
इकाई 7:
बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया- भाषा विकास के चरण, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं?भाषा सीखने की प्रक्रिया के गुण
इकाई 8:
बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उनका विकास -
पठन, अर्थ समझना एवं अर्थ निर्माण, डिकोडिंग, भाषा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और उसका अंत:संबंध, वाक्य रचना कौशल
इकाई 9:
समावेशी भाषा कक्षा, बहुभाषिकता
इकाई 10:
मूल्यांकन: भाषा में मूल्यांकन क्यों एवं उसकी प्रकृति ।बच्चों में भाषा क्षमता के आकलन के संभावित तरीके, भाषा सीखने, लिखने व पढ़ने की प्रक्रिया में गलतियो की भूमिका

सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा पाठ्यक्रम

अंग्रेजी

(अंक – 10)

A) Comprehension

- Unseen prose passages with higher order thinking questions on comprehension, grammar and verbal ability.
- Comprehension
- Grammar
- Vocabulary

B) Pedagogy of language development

- Language acquisition in the classroom.
- Principles of language teaching
- Role of listening and speaking before reading and writing.
- Phonics and phonemic awareness.
- Function of language and how children use it as a tool.
- Critical perspective on the role of grammar in learning a language for communicating ideas verbally and in written form.
- Challenges of teaching language in a diverse classroom, language difficulties, errors and disorders.
- Language skills
- Evaluating language comprehension and proficiency: speaking, listening, reading and writing.
- Making as well as Use of low-cost Teaching learning materials
- Textbook- unit themes and learning objectives
- Emphasis on holistic play-based pedagogy.
- Safe and appropriate use of digital content
- Multimedia materials, multilingual resource of the classroom
- Assessment
- Remedial teaching: Individual differences and learner needs,

सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा पाठ्यक्रम

गणित

(अंक - 15)

इकाई 1. भूमिका - प्राचीन भारतीय गणितज्ञों का योगदान एवं उनके कार्य।

इकाई 2. गणित की प्रकृति - गणित का स्वरूप,गणितीय सोच,अमूर्तिकरण, विशिष्टिकरण और व्यापकीकरण अन्य विषयों के साथ संबंध।

इकाई 3. गणित सीखना एवं आकलन - प्राचीन भारतीय गणितीय पद्धति द्वारा सीखना, कक्षा में रचनावाद आकलन, अवधारणा एवं प्रक्रियात्मक ज्ञान ।

इकाई 4.

4.1 दशमलव प्रणाली

4.2 संख्याएं - पूर्ण, सम-विषम, अभाज्य और विभाज्य, त्रिभुजाकार संख्या, कापरेकर संख्या।

4.3 भिन्न - भिन्नो की परस्पर तुलना, इसके नियम, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना।

4.4 व्यंजको का सरलीकरण, BODMAS का प्रयोग।

4.5 वर्गमूल - वर्गमूल निकलने की विभिन्न विधियां।

4.6महत्तम समापवर्तक और लगत्तुम समापवर्त्य -इससे सम्बन्धित समस्याओं के हल हेतु सूत्र

4.7 माध्य, माध्यिका और बहुलक पर आधारित प्रश्न

4.8 प्रतिशतता - प्रतिशत, ब्याज, लाभ और हानि पर आधारित प्रश्न

4.9 अनुपात, समानुपात एवं ऐकिक नियम

4.10 चाल, समय एवं दूरी

4.11 क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन

4.12 पैटर्न - पैटर्न की पहचान करना, समस्याओं एवं समाधान के बीच और उनके भीतर समानता की तलाश करना एवं पहचानना।

4.13 ज्यामितीय आकृतियां - ज्यामितीय आकृतियों की पहचान, समझ और रचना।

4.14 निर्देशांक ज्यामिती का उपयोग करके स्थिति को निर्दिष्ट करना।

सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा पाठ्यक्रम

पर्यावरण अध्ययन

(अंक - 10)

इकाई 1- पर्यावरण की समझ

पर्यावरण के घटक(सामाजिक,आर्थिक,प्राकृतिक, सांस्कृतिक) एवं उनकी अंतःक्रिया, पर्यावरण के प्रमुख सरोकार ,पर्यावरण की रोचकता

इकाई 2- पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ

दृष्टिकोण,अनुभव आधारित समझ, परिवेश संबंधी सूचनाओं का संग्रहण, विश्लेषण, अवलोकन, समस्या – समाधान

इकाई 3- पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं

पाठ्यक्रम सरोकार, अवधारणा का बनना, समाजिक अध्ययन की अवधारणा

इकाई 4-पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र

विज्ञान शिक्षण, सामाजिक अध्ययन शिक्षण, बच्चो द्वारा बनाए गए चित्र को पढ़ना और समझना, दिन-रात व ऋतु को समझना, समय नापना,नक्शे पढ़ना और समझना, बाल केंद्रित शिक्षण, एकीकृत दृष्टिकोण

इकाई 5 - पर्यावरण अध्ययन व कक्षा-कक्ष गतिविधियां

कक्षा-कक्ष गतिविधियों का आयोजन एवं संगठन, प्रयोग ,प्रयोग सामग्री का संकलन, सर्वे, प्रोजेक्ट, क्षेत्र भ्रमण, पुस्तकालय,मूल्यांकन आकलन

इकाई 6- परिवार संबंध

परिवार के प्रकार, सामाजिक घटनाएं,बुराईयां,दुर्व्यसन,इनके सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणाम ,सामाजिक सहभागिता

इकाई-7 स्वास्थ्य एवं सुरक्षा –

व्यक्तिगत स्वच्छता, शरीर के आंतरिक अंगो की सामान्य जानकारी,संतुलित भोजन, सामान्य रोग, कारण, बचाव के उपाय,टीकाकरण, प्राथमिक उपचार, सार्वजनिक स्वच्छता,सुरक्षा नियम कानून व्यवस्था

इकाई 8- पारिस्थितिक तंत्र, पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन –

पारिस्थितिक तंत्र संरचना, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल,पदार्थो का चक्रण,सतत विकास के बुनियादी विचार ,पर्यावरण संरक्षण मे नागरिको की भूमिका

इकाई 9- संस्कृति एवं परम्पराएं- स्थानीय त्योहार, छत्तीसगढ की संस्कृति,पारंपरिक रीति-रिवाज

सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा पाठ्यक्रम

भाग – ब

बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र

(अंक -15)

इकाई 1 : बच्चे का विकास

विकास की अवधारणा एवं उसका सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धान्त, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, बुद्धिमत्ता के सृजन का समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, बहु आयामी बुद्धि, भाषा एवं विचार, सीखने वालों के मध्य वैयक्तिक विभिन्नता, भाषायी विभिन्नता, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म, इत्यादि पर आधारित समझने में अन्तर, सीखने हेतु मूल्याँकन व सीखने का मूल्याँकन के मध्य अन्तर, शाला आधारित मूल्याँकन एवं सतत् व समग्र मूल्याँकन, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास।

इकाई 2 :समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना

वंचित व कमजोर सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए सीखने वाले का शिक्षण।

सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों का शिक्षण ।

सृजनात्मक एवं विशिष्ट योग्यता वाले, सीखने वालों का शिक्षण।

इकाई 3: सीखना एवं शिक्षाशास्त्र

सीखने-सिखाने के आधारभूत तरीके, बच्चों के सीखने की व्यूह रचना, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक परिप्रेक्ष्य। बालक, समस्या समाधान करने वाला व वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले के रूप में। संज्ञान एवं संवेग, अभिप्रेरणा व सीखना, सीखने में सहयोगी कारक वैयक्तिक एवं पर्यावरणीय

सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा पाठ्यक्रम

भाग – स

सामान्य अध्ययन

(अ) सामान्य मानसिक योग्यता

(अंक -15)

तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता, आकाशीय संबंध आदि। इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं- विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर क्षेणी, अक्षर, अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएँ, चित्रों का मिलान, घन संबंधी विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि-आदि।

(ब) कम्प्यूटर शिक्षा

(अंक -5)

- **कम्प्यूटर का परिचय** - कम्प्यूटर क्या है?, दैनिक जीवन में कम्प्यूटर का उपयोग,(शिक्षा, बैंकिंग, स्वास्थ्य, कार्यालय, संचार आदि कम्प्यूटर का महत्व और सीमाएँ, कम्प्यूटर की सामान्य विशेषताएँ।
- **कम्प्यूटर के प्रमुख भाग** - हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का परिचय,स) .यू.पी.CPU),ALU, CU, Memory, इनपुट डिवाइस (कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टचपैड आदि(, आउटपुट डिवाइस (मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आदि(।
- **प्रिंटर के प्रकार**- इंकजेट प्रिंटर,लेज़रजेट प्रिंटर,डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर,थर्मल एवं अन्य आधुनिक प्रिंटर।
- **ऑपरेटिंग सिस्टम** - ऑपरेटिंग सिस्टम की भूमिका, एम) डॉस .एस.MS-DOS), कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम (Windows, macros आदि(, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम (Linux, Ubuntu आदि(।
- **कार्यालयीन उपयोग हेतु Microsoft Office : MS Word** - डॉक्यूमेंट बनाना, संपादन, फॉर्मेटिंग। MS Excel -टेबल, फार्मूले, चार्ट। MS PowerPoint - स्लाइड निर्माण, डिज़ाइन, प्रस्तुतीकरण।
- **इंटरनेट का उपयोग** - इंटरनेट का परिचय ,Inbox ,Outbox ,CC, BCC, ई मेल बनाना व- ,भेजनाऑनलाइन डॉक्यूमेंट खोज ,वेबसाइट सर्फिंग ,विभिन्न सरकारी विभागों की वेबसाइटों की सामान्य जानकारी।

- **एंटीवायरस एवं कम्प्यूटर सुरक्षा** - कम्प्यूटर वायरस क्या है? ,वायरस के प्रकार, वायरस से होने वाले नुकसान ,एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का महत्व, सुरक्षा उपाय।
- **मल्टीमीडिया का उपयोग**- मल्टीमीडिया का अर्थ ,ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट का उपयोग , मल्टीमीडिया अनुप्रयोग।
- **स्टोरेज डिवाइस**- प्राथमिक व द्वितीयक स्टोरेज ,हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी ,डीवीडी/ क्लाउड स्टोरेज का परिचय।
- **सर्च इंजिन एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म** - गूगल, यूट्यूब ,सर्च इंजिन क्या है? ,वांछित जानकारी कैसे खोजें? ,सुरक्षित एवं प्रभावी सर्चिंग तकनीकें।

(स) सामान्य ज्ञान

(अंक -15)

1. मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य एवं भारतीय राजनैतिक व्यवस्था एवं संविधान अधिकार, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव लोकसभा, राज्यसभा।
2. भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय सभ्यता एवं सांस्कृतिक, ऐतिहासिक घटनाएं, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1947 तथा, 1947 के बाद का घटनाक्रम।
3. भूगोल: सामान्य भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल।
4. भारतीय अर्थव्यवस्था: सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि व ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम
5. सामान्य विज्ञान: भौतिकी, रसायनशास्त्र एवं जीव तथा वनस्पति विज्ञान से संबंधित मूलभूत जानकारी।
6. छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी : छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनैतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था शासकीय योजनाएं, पुरस्कारसम्मान-, परम्परायें लोकगीतसंगीत-, महत्वपूर्ण व्यक्तिव एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय।
7. नई शिक्षा नीति 2020 - (भाग I – स्कूल शिक्षा)